२रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

२रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUP

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

150

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांकः / 13–14 ~~अपील~~ निगरानी

निग - 1686 - PBR - 14

रोशनलाल पुत्र आनन्दीलाल निवासी माता के मंदिर के पास, लधेडी, ग्वालियर म0प्र0

——— निगरानीकर्ता

श्री कलय शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 3-6-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-6-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– रामकिशोर पुत्र स्व. राम प्रसाद

2– शिवचरण पुत्र स्व. राम प्रसाद

3– धन्नालाल तथा कथित दत्तक पुत्र सीताराम

4– भगवान दास पुत्र मंगलिया सभी निवासीगण माता के मंदिर के पास, लधेडी, ग्वालियर

5– रविन्द्र सिंह

——— प्रतिप्रार्थीगण

3-6-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर पारित प्रकरण कमांक 74/11–12 अपील पारित आदेश दिनांक 20–12–2013

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1686-पीबीआर/2014 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	आवेदक अधिवक्ता श्री अजय शर्मा, अनावेदक क्र. 1, 2 व 4 की ओर से श्री एन.डी. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित एवं क्र. 3 की ओर से श्री धीरज तिवारी, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष दिनांक 07.01.2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	